

13

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर



R 53-III 107

- 1:- अनिरुद प्रसाद -- दोनों पुत्रगण रामतिषा डा 0 निवासी
  - 2:- रमाकान्त -- ग्राम, मढ़ा तहसील मउमंज जिला रीवा
- :-----आवेदकगण

अवेदक पत्र 23  
10/1/07

विरुद्ध

- 1:- आशुतोषकुमार तनय श्री केवारी प्रसाद
- 2:- जगदीश प्रसाद तनय श्री वैजनाथ
- 3:- श्रीनिवास तनय श्री वैजनाथ
- 4:- रामतिषा तनय श्री वैजनाथ डा.

सभी निवासी गणग्राम मढ़ा तहसील मउमंज थाना  
लीरजिला रीवा 100 प्रो। :-----अनावेदकगण

10.1.07

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म. प्र. भू. रा. स.  
1959 विरुद्ध आदेश श्री व्ही. के. सिंह अपर  
कमिश्नर रीवा दिनांक 28.12.06 जो प्रो क्रो 854/अ6/05-06 में पारित।

=====

मान्यवर,

पुनरीक्षण से सम्बन्धित तथ्य :-  
=====

क। भूमि नं. 83 रकबा 1.34ए0 निगरानीकर्ता के स्वत्व  
स्वामित्व व आधिपत्य की है, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी एवं  
पटवारी से मिलकर दिनांक 21.9.01 को अना 0 आशुतोष ने पंजी  
क्रो 27 के द्वारा नामांतरण प्रमाणित करा लिया और उसमें यह  
लिखा कि कृषि विकास हेतु जरिये विनिमय नामांतरण प्रमाणित  
करा गया है। उक्त आदेश के विरुद्ध आवेदक ने अनुविभागीय

M

R-53 1/07 प्रीति



719116

आवेक एवं आवेक अभिमो सो सम  
सम. पर. आवाय लोवाइ अई, की ई  
उपकारम एव्य आः आवेक अभिमो  
अनुपकार एमे उ काणे प्रका) अदम  
परी न रण्डिम आजाती है  
सदस्य

~~प्रीति~~  
७३